दिनांक–30.04.2019 को सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/पथ निर्माण विभागकी अध्यक्षता में राज्य में प्रगतिशील आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :– 1598/IT 30-04-19

बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग,ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग के नोडल पदाधिकारी एवं भारत सरकार के विभिन्न संगठन एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यथा एन.एच.ए.आई., सी. सी.एल., ई,सी.एल., बी.सी.सी.एल., रेलवे (ई.सी.आर., ई.आर., एस.ई.आर.), डी.एफ.सी.सी.आई.एल., सी.आर.पी.एफ., गेल, आई.डब्ल्यू.ए.आई., ए.ए.आई., ओ.एन.जी.सी. एवं एन.टी.पी.सी. के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गत दिनांक–24.09.18 को समीक्षात्मक बैठक में NHAI, Railways, DFCCIL, GAIL, IWAI, ECL, BCCL, ECL, NTPC एवं AAI परियोजनाओं के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन, प्रगति एवं परियोजना से संबंधित नई बिन्दु की समीक्षा की गई तथा निम्न निदेश दिये गये:–

1. **Railways – South Eastern Railway**

(i) हटिया–बंडामुण्डा रेल परियोजना

खूँटी जिलान्तर्गत 07 मौजा में से 6 मौजा एवं गुमला जिला में 01 मौजा में धारा–19 के तहत् अधिघोषणा निर्गत किया गया है। अन्य कार्यवाही लोकसभा चुनाव के पश्चात् तीव्र गति से की जायेगी।

Lodhama-Karra section में Karra Yard से संबंधित Tree felling (खूंटी जिला में 883 नं0) जिसके लिये permission मिल गया है,उनमें Tree Logs (1st lot of 83 nos) के transportation हेतु transit permit दिनांक 22.02.2019 से लंबित है। अतः इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि अनुमति शीघ्रताशीघ्र दी जायेगी तथा future proposals में विलंब नहीं होगा।

Kurkura-Mahabuag, Mahabaug-Bano एवं Bano-Kanaraon में tree enumeration list plot no. एवं type/nature of land सहित certification हेतु अंचलाधिकारी/बानो को दिनांक 25.04.2019 को दिया गया है। निर्वाचन के उपरांत अपर समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी द्वारा शीघ्रताशीघ्र यह कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **राज खरसावाँ, डोंगापोषी 3rd Lineपरियोजना** :– भू–अर्जन की कार्रवाई दिनांक 10.09.2018 को पूर्ण कर ली गई है।

(iii) **ROB परियोजनायें**

चाईबासा RoB :–वांछित भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। Electrical/ water pipeline utility shifting का कार्य पूर्ण है। Pier - P11 raft casting के लिये दिनांक 01.04.2019 से 21.04.2019 तक traffic divert किया गया। इसी प्रकार अन्य structure/ girder के casting हेतु traffic divert करने की आवश्यकता है। रेलवे द्वारा traffic diversion plan तैयार है, इस हेतु पथ निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर प्लान उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक, चाईबासा को भेजा जायेगा।

नोवामुंडी RoB:–वांछित भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। Electrical/ water pipeline utility shifting का कार्य पूर्ण है। नये पोल पर विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है तथा charging की जा चुकी है। पुराने विद्युत लाईन एवं पोल को हटाये जाने की आवश्यकता है। JBVNL के प्रतिनिधि को इसे तुरंत हटाये जाने हेतु निदेश दिया गया।

खासमहाल भूमि की दो प्लॉट का लीज बंदोबस्ती रद्द कर दी गई है। लीज होल्डर द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है। उपायुक्त, चाईबासा द्वारा इस issue को resolve किया जायेगा।

HPC के स्तर से दिनांक 14.03.2019 को tree felling (5 अदद) का permission मिल गया है। DFO, Chaibasa द्वारा अविलंब आदेश निर्गत किया जायेगा।

30/04/19

कोलेबिरा–हाटगम्हरिया RoB:–कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वांछित भूमि कार्य के लिये उपलब्ध है जिसके लिये रैयतों को भुगतान किया जा चुका है। भूमि का विधिवत हैंडिंग ओभर निर्वाचन के पश्चात् कर दिया जायेगा। कार्य में बाधा नहीं है। HPC के स्तर से दिनांक 14.03.2019 को tree felling (153 अदद) का permission मिल गया है। DFO, Chaibasa द्वारा अविलंब आदेश निर्गत किया जायेगा।

सरायकेला–खरसावाँ RoB in lieu of LC-160:–4.5 एकड़ भूमि का एवार्ड घोषित हो गया है। रैयतों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। उपायुक्त, सरायकेला द्वारा इस मुद्दे को resolveकरते हुये कार्य प्रारंभ कराने की कार्रवाई की जायेगी।

53 अदद trees के felling के लिये अनुमति प्राप्त है। JSFDC Ltd. को lot तैयार करने हेतु 1,22,618/– रूपये राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा यह राशि अगले एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी।

सिल्ली–पतराहातु RoB:– सर्विस रोड/ स्लीप रोड के निर्माण की आवश्यकता है। अतिक्रमण/ undemarcated land के कारण clear land नहीं होने से स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। निदेशित कियागया कि रैयतों से भू–अभिलेख की मांग कर एवं उसका सत्यापन के आधार पर अपर समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी द्वारा निर्वाचन उपरांत इस मुद्दे को resolve किया जायेगा।

(iv) **लोहरदगा–टोरी न्यू लाईन प्रोजेक्ट** :–Side pathway के लिये LAP दिनांक 27.12.2018 को DLAO/ Latehar को दिया गया है। लगभग 0.54 एकड़ भूमि के लिये 9.94 करोड़ रूपये की मांग की गयी है। मूल्य की गणना बहुत अधिक होने की सूचना रेलवे द्वारा दिया गया। ROB निर्माण कार्य इस कारण लंबित हो गया है। दर को revisit करने का निदेश उपायुक्त, लातेहार को दिया गया।

East Central Railway

(i) **टोरी–शिवपुर रेल लाईन परियोजना** :–लातेहार जिलान्तर्गत टोरी से बिराटोली एवं बिराटोली से महुआमिला स्टेशन के बीच फ्लाईओवर हेतु 76.71 एकड़ भूमि को शीघ्र लातेहार जिला द्वारा handover किया जायेगा।

चन्दवा अंचल में 19.76 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण विभागीय राज्यादेश सं0–5116, दिनांक–27.12.18 द्वारा किये जाने की सूचना रेलवे को संसूचित किया गया।

19.85 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का NPV/CA amountके non-payment के कारण Stage-1 compliance लंबित है। Online चालान generate करने का रेलवे का अनुरोध दो–दो बार reject हो गया है। रेलवे द्वारा संबंधित DFO से समन्वय स्थापित कर मामले को निष्पादित किया जायेगा।

अतिरिक्त 6 हे0 वनभूमि हेतु forestry clearance की आवश्यकता है। Application दिनांक 27.02.2017 को online file किया गया है। Stage-I लंबित है। Cadastral / revised survey land schedule हेतु उपायुक्त, लातेहार से undertaking की आवश्यकता है। लातेहार जिला प्रशासन को तदनुरूप undertaking देने हेतु निदेशित किया गया।

Tori RoR एवं बिराटोली–महुआमिलान परियोजनाओं के लिये 2.537 हे0 वनभूमि हेतु Stage-I clearance की आवश्यकता है। Application दिनांक 06.10.2018 को file किया गया है। उपायुक्त, लातेहार से cadastral survey हेतु undertaking एवं रेलवे के स्तर से undertaking DFO, Latehar को उपलब्ध कराया जा चुका है। इसे expedite करने हेतु वन विभाग के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया।

हजारीबाग जिला अंतर्गत बांका ग्राम में कोल लोडिंग के लिये Banadag siding पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है जबकि इस हेतु भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। हजारीबाग जिला प्रशासन को इसे resolve करने हेतु निदेशित किया गया।

(ii) RoR गोमो न्यू लाईन परियोजना :–322.00 एकड़ भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव धनबाद जिला प्रशासन को दिसंबर, 2018 में समर्पित किया गया है। चुनाव के पश्चात् कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

30/4/19

(iii)**कोडरमा–तिलैया नई BG Rail Line** :–पुनरीक्षित राशि के अनुरूप MoU कर लिया गया है। तदनुरूप राशि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही निर्गत कर दिया जायेगा।

Kowabar village में 700 मी0 stretch esa GM land transfer करने हेतु प्रकिया शीघ्रताशीघ्र expedite करने के लिये कोडरमा जिला प्रशासन को निदेशित किया गया।

(iv) Jarangdih to Ranchi Road Doubling Rail Line :–बोकारो एवं रामगढ़ जिला में 45.99 हे0 वनभूमि के लिये Stage-1 Clearance दिनांक 18.09.2018 को प्राप्त है। मार्च 2019 में working permission दिया गया है। किंतु Tree felling permission लंबित है। अनुमति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव HPC के अगली बैठक में रखने का निदेश वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि को दिया गया।

(v)**कोडरमा–गिरिडीह नई BG Rail Line परियोजना** :–Jamdiha, Labania Alia Bela, Domchanch एवं Kheshmi/Purnanagar में क्रमशः कि0मी0 18.950, 29.500, 31.200 एवं 35.700 में unmanned level crossings पर ROB निर्माण हेतु वांछित भूमि के लिये दिनांक 28.08.2018 को Section-11 अधिसूचित किया गया है। दिसंबर 2018 में 1.86 करोड़ रूपये की राशि रेलवे द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कोडरमा जिला द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रकिया expedite किया जायेगा।

(vi) ROB परियोजनायें

प्रधानखन्ता RoB :–भूमि अधिग्रहण हेतु 5.72 करोड़ रूपये रेलवे द्वारा फरवरी, 2019 में उपलब्ध कराया गया है। चुनाव समाप्ति के पश्चात् भू–अर्जन की कार्यवाही में गति लाने का निदेश दिया गया।

भूली RoB :–कोयला मंत्रालय से NOC प्राप्त है। रेलवे/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, धनबाद द्वारा DLAO, Dhanbad से भुगतान हेतु डिमांड प्राप्त किया जायेगा। तदोपरांत रेलवे द्वारा BCCL को भुगतान किया जायेगा।

Hazaribagh Road ROB (LC No. 20 B/T) :- Existing Alignment से हटकर alternatealignment पर ROB निर्माण हेतु भू–अर्जन, utilitity इत्यादि के संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदन पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। किंतु साथ ही Existing alignment पर अतिकमण हटाये जाने हेतु गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट timeline सूचित करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा नवम्बर, 2018 में दिया गया था जो अप्राप्त है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि मुख्य सचिव को अवगत कराया जा सके।

Eastern Railway

(i) **Hansdiha-Godda New Rail Lineपरियोजना**– गोड्डा जिलान्तर्गत4 locationsयथा Hariyari, Nirjhartola, Navidha एवं Godighat पर electrical utility shifting का कार्य अभी भी लंबित है। इससे सुरक्षा की दृष्टिकोण से निर्माण सामग्रियों एवं श्रमिक के movement का कार्य बाधित है। संबंधित JBVNL पदाधिकारी द्वारा expedite किया जायेगा।

2.54 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु Stage-I clearance एवं working permission प्राप्त है। रेलवे द्वारा Stage-I शर्त्तों का compliance किया जा चुका है। Stage-II clearance की आवश्यकता है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि को expedite करने हेतु निदेशित किया गया।

इस परियोजना में रेलवे द्वारा लगभग 400 करोड़ रूपये व्यय की सूचना दी गयी। राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रूपये राज्यांश के विरूद्ध 150 करोड़ रूपये रेलवे को उपलब्ध कराया गया है। परिवहन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा शेष 50 करोड़ शीघ्र releaseकिये जाने की सूचना दी गयी।

Sakur-Phulwar village में bridge no. 15 पर कतिपय रैयतों द्वारा उन्हें प्लॉट संख्या 5059 में भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतान नहीं होने के कारण विगत 6 माह से कार्य बंद होने की सूचना रेलवे द्वारा दी गयी। बताया गया कि दिनांक 06.09.18 को application file किया गया है। Section-11 लंबित है। निदेशक, भू–अर्जन इस मुद्दे को resolve करेंगे। निदेशक Navidiha, Kathon, Kirmran एवं Godighat में भू–अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को resolve करेंगे।

30/4/19

(ii) **Hansdiha-Mohanpur new Railway line परियोजना** –देवघर जिला अंतर्गत 21 मौजा में 18 मौजा अंतर्गत 91.91 एकड़ का possession दिया गया है। किंतु रैयतों को कतिपय कारणों यथा wrong calculationofinterest से भुगतान लंबित होने के कारण handing over process बाधित होने की सूचना रेलवे द्वारा दी गयी। उपायुक्त, देवघर इसे resolve करेंगे। उपायुक्त, दुमका द्वारा दुमका जिलान्तर्गत 5 मौजा में भूमि उपलब्ध कराने की प्रकिया expedite किया जायेगा।

9.14 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु DFO, Deoghar एवं Dumka द्वारा इंगित query का compliance दिनांक 05.04.19 को किया गया है। DFO, Deoghar/ Dumka द्वारा expedite किया जायेगा।

(iii) **Pirpainti-Godda new Railway line परियोजना**–गोड्डा से लखीपुर तक जहां मार्गरेखन में परिवर्तन का मुद्दा नहीं है, में भूमि अधिग्रहण प्रकिया उपायुक्त, गोड्डा द्वारा शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। शेष मार्गरेखन में issues को resolve करने हेतु रेलवे प्राधिकार द्वारा कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(iv) रेलवे द्वारा दिनांक 30.04.2019 की बैठक में बताया गया कि हंसडीहा–पिरपैंती प्रस्तावित रेल लाईन का कुछ अंश/भाग कोयलाधारित क्षेत्र (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुशंगी कंपनी भाकोकोलि एवं ईसीएल को आवंटित कोयला ब्लॉक) में आता है। पिरपैंती–बाराहाट कोयला ब्लॉक का कोयलाधारित (अधग्रहण एवं विकास) अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत् भारत सरकार के गजट में 13.12.2018 को अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। रेलवे के लिए भी RFCTLARR Act 2013की धारा 11(1) के तह् अधिसूचना राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित हो चुका है। रेलवे ने उक्त भूमि प्रस्तावित रेल लाईन हेतु देने का आग्रह किया।

सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने कहा कि कोयलाधारित (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम की धारा 4(1) के तहत् भारत सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कोयलाधारित क्षेत्र में रेलवे के लिये भूमि अर्जन से संबंधित प्रक्रिया जारी रखना उपयुक्त नहीं है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय आपस में विचार–विमर्श कर उचित निर्णय ले सकता है। उक्त निर्णय के आलोक में संबंधित उपायुक्त द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही की जायेगी।

ROBपरियोजनायें

(i) **Sahibganj ROB (LC No. 82 B/T)** – पथ निर्माण विभाग द्वारा अप्रोच estimate रेलवे को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) **Madhupur/-Joramau (in lieu of RUB No. 618)**–लगभग 1.5507 एकड़ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। Section-19 निर्गत है। जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 11.02.19 को 10.441 करोड़ रूपये इस हेतु राशि की मांग की गयी है। भूमि अधिग्रहण की राशि में बढ़ोत्तरी के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा शीघ्रताशीघ्र इस हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा। Electrical utility shifting अंतर्गत 9/57 पोल तथा 1/2 Transformer दिनांक 02.01.19 तक हटाया गया था। इसमें further कोई प्रगति नहीं है। जलापूर्ति पाईपलाईन का कार्य अबतक प्रारंभ नहीं किया गया है। Electrical/Water pipeline utilityshifting की कार्रवाई प्राथमिकता पर क्रमशः कार्यपालक अभियंता, DW&SD, Madhupur एवं अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **Satsang Nagar Baidyanath Dham ROB (LC No. 4/E)** - लगभग 1.35 एकड़ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। जिला प्रशासन द्वारा 15.72 करोड़ रूपये इस हेतु राशि की मांग की गयी है। भूमि अधिग्रहण की राशि में बढ़ोत्तरी के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा शीघ्रताशीघ्र इस हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा। Electrical/ Water pipeline utility shifting की कार्रवाई प्राथमिकता पर क्रमशः देवघर नगर निगमएवं अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

30/4/19

(iv) **Jamtara-Bodma (LC No. 9 B/T) ,oa Chittranjan-Bodma (LC No. 7 A/T)** – DLAO, Jamtara द्वारा क्रमशः 1.354 एकड़ एवं 2.926 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रकिया अविलंब पूर्ण किया जायेगा। LC/ 9 B/T में 3.804/4.412 करोड़ रू0 (102/150 रैयत) को भुगतान हुआ है तथा 40/45 structures हटाया गया है। LC 7 A/T में 1.058/1.697 करोड़ रू0 का भुगतान तथा 3/9 structures हटाया गया है। Electrical utility shifting का कार्य संबंधित विभागों द्वारा शीघ्रताशीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें काफी विलंब हो चुका है। दिनांक 02.01.19 तक 39/53 पोल तथा शेष transformer shift किया गया था। इसके पश्चात् प्रगति नहीं है। LC 9 B/T में 02 handpump एवं LC 7 A/T में एक handpump shifting का कार्य दिनांक–02.01.2019 से लम्बित है। इसे शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

2. **GAIL**:–

GAIL के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि झारखण्ड राज्य में कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। गिरिडीह एवं सिमडेगा जिला में जंगल–झाड़ी भूमि का NOC निर्गत करने का अनुरोध किया गया। निदेशित किया गया है कि दो दिनों के अन्दर NOC निर्गत कर दिया जायेगा।

3. **IWAI**:–

2 करोड़ रू0 JBVNL को 33 KVA Transformer स्थापित करने के लिये अक्टूबर, 2018 में उपलब्ध कराया गया है। कार्य लंबित है। इसे शीघ्र किया जाय।

DEN, ER, मालदा से रेलवे track के नीचे underground cable हेतु NOC अप्राप्त है। IWAI द्वारा वांछित राशि जमा की जा चुकी हैं NOC अविलंब निर्गत किया जायेगा।

25/485 आवासों को निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। शेष आवासों के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त किये जाने की सूचना दी गयी है। इसे expedite किया जायेगा। उपायुक्त द्वारा उपरोक्त आवासीय कॉलोनी में विद्युत/जलापूर्ति हेतु planning साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

337.395 एकड़ Logistic Park हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला में अधियाचना दिनांक–13.04.19 को समर्पित किया गया है। चुनाव समाप्ति के पश्चात् भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा परियोजना पथांश के 50% अतिक्रमण रहित अंश में कार्य प्रगति में है। शेष अंश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई साहेबगंज जिला द्वारा निर्वाचन पश्चात् सुनिश्चित किया जायेगा।

4. **Central coalfield Ltd. (CCL)**– लातेहार जिला में अवैध भूमि की बंदोबस्ती व दखल कब्जा का उपायुक्त, लातेहार द्वारा 15 दिनों में सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करेगें। Land Authentication के क्रम में विवादग्रस्त विषयों के संबंध में उपायुक्त की सहमती प्राप्त कर निपटारा हेतु CB Act के अन्तर्गत भू–अर्जन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी इन विषयों को Tribunal में भेजेगें।

CB ACT के अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्रवाई कर रहें सभी संस्थान **सितम्बर 2015** से मुआवजा का भुगतान RFCTLARR ACT 2013 के तहत् करने का निदेश CCL, BCCL, ECL तथा NTPC सुनिचित करेगें।

5. **Eastern Coalfield Ltd.(ECL)**–राजमहल OCP अन्तर्गत बांसडीहा मौजा में 79 GT के विरूद्ध 64 GT सत्यापित कर दिया गया है। तालझारी मौजा में 39 के विरूद्ध 9 GT का सत्यापन हो गया है। 14 GT जो Front Line में है उसे सत्यापित करने का निदेश गोड्डाजिला को दिया गया है।

देवघर जिला अन्तर्गत SP Mines वितरा के लिए अर्जित 323 हे0 भूमि का DoC का निष्पादन करने हेतु कई बार निदेश दिये जाने के बावजूद ECL द्वारा DoC नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया। ECL को पुनः निदेशित किया गया कि अविलम्ब Doc का निष्पादन किया जाय।

6. **NTPC(NKSTPP)–पकरी बरवाडीह Coal Mines Project**:–

- चुरचू मौजा अन्तर्गत Dump 'C' के लिए 79.82 एकड़ के विरूद्ध 17.91 एकड़ का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। 14.55 एकड़ से संबंधित मुआवजा की राशि Tribunal में जमा की जा चुकी है। शेष 47.36 एकड़ विवादित होने की स्थिति में Tribunal में राशि जमा करने का निदेश दिया गया है।

- केरेडारी कोल ब्लॉक से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु ढेंगा मौजा में निर्मित R&R कॉलोनी में आवासित करने के बिन्दु पर NTPC के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि पकरी–बरवाडीह में जितने परिवार विस्थापित हुए है उन्हें शत–प्रतिशत पुनर्वासित किया गया अथवा नहीं इसकी संख्या बताये तथा केरेडारी कोल ब्लॉक से विस्थापित होने वाले परिवारों की सहमति है अथवा नहीं इसकी सूचना से अवगत करायें।
- Physical possession of balance 50.32 acre land के संदर्भ में लोक सभा चुनाव 2019 के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- स्थानीय व्यक्तियों द्वारा electricity demand करते हुये NTPC के Barrage work बाधित किये जाने समस्या का निदान उर्जा विभाग द्वारा हल किया जायेगा।
- गरही नदी पर बराज निर्माण हेतु WRD द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि के हस्तानांतरण हेतु NTPC से वांछित राशि प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- NTPC द्वारा funded SH-07 (हजारीबाग–बड़कागांव–टंडवा–सेनारी–बिजुपाड़ा पथ) पथ के चौड़ीकरण कार्य SHAJ के माध्यम से प्रगति त्वरित करने हेतु टंडवा बाईपास हेतु वांछित encumbrance free land अतिशीघ्र NTPC द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- पथ निर्माण कार्य हेतु NTPC द्वारा 10% राशि एक सप्ताह के अंदर release कर दिया जायेगा।

7. <u>PVUNL Patratu</u>:–

- 34.97 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन की कार्यवाही RFCTLARR Act, 2013 के आलोक में जिला द्वारा की जायेगी। अतएव Joint Venture Company, ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य का निष्पादन करेंगे।
- उर्जा विभाग के लिये भूमि को JV Company को lease पर दिया जाना है, के संदर्भ में उर्जा विभाग से NOC प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।

8. <u>ONGC</u>:– बोकारो, रामगढ़ एवं धनबाद जिला में अधियाचित रैयती भूमि/सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

बोकारो जिला प्रशासन द्वारा permanent acquisitionहेतु indented money 17.99 crore रूपये ONGC के स्तर से 15 दिनों के अंदर जमा कर दिया जायेगा।

9. <u>DVC</u>:–

- DFO, लातेहार के पास लंबित मामले का निष्पादन करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया है।
- DFO, लातेहार के पास लंबित मामले का निष्पादन करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि को यथोचित कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।
- Utility shifting मामले के निष्पादन हेतु CE, NH Wing/ MoRT&H के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची से समन्वय स्थापित कर इसे अविलंब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

10. <u>IOCL</u>:–देवघर जिला में सारठ, सारवाँ एवं देवघर अंचल अन्तर्गत जंगल–झाड़ी भूमि का NOC/FRA निर्गत करने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

धनबाद जिले में अधिग्रहित भूमि के possession हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

11.Airport Authority of India (AAI) :

- Expansion of Birsa Munda Airport, Ranchi - राज्य सरकार से AAI को 303.63 एकड़ भूमि का हस्तांतरण MoU के non-finalisation के कारण लंबित है। Draft MoU Transport एवं Civil Aviation विभाग, झारखण्ड सरकार को दिनांक 24.12.2018 को vetting हेतु भेजा गया है। परिवहन विभाग के प्रतिनिधि को इस बिंदु को देखन हेतु निदेशित किया गया है।
- सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेड़ो की trimming हेतु DFO, Ranchi से संपर्क करने हेतु निदेशित किया गया। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस हेतु प्राथमिकता पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

Deoghar Airport :

- महाप्रबंधक, Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd. Deoghar द्वारा वृक्षों के हटाये जाने का कार्य किया जाना है। Tree felling कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। इस कारण terminal building का कार्य लंबित है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस हेतु प्राथमिकता पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

Bokaro Airport :

- Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd. Bokaro द्वारा वृक्षों के हटाये जाने का कार्य किया जाना है। Tree felling कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। AAI द्वारा इस कार्य हेतु 1.09 करोड़ रूपये JSFDC को दिनांक 03.04.2019 को हस्तांतरित किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस हेतु प्राथमिकता पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
- Boundry wall से सटे unauthorised slums के हटाये जाने संबंधी कार्रवाई बोकारो जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

Dhalbhumgarh Airport :

- वनभूमि अपयोजन की आवश्यकता है। AAI द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जायेगी।

CRPF :

- 500 एकड़ भूमि हेतु अधियाचनाराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त है। भू–राजस्व विभाग द्वारा अधियाचित location की suitability हेतु गृह विभाग को भेजा गया है। CRPF द्वारा एक ही location पर 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता को rationalise करने के लिये कहा गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। 30/4/19

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांकः 12/ भा०नि०–01/2019 1598/रा० **राँची दिनांकः** 30-04-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी (वन्य जीव प्रमण्डल सहित), झारखण्ड/ सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/ सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/19
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांकः 12/ भा०नि० ०८६-01/2019 - 1598/रा० राँची दिनांकः 30-04-19

प्रतिलिपि :–CMD, CCL,दरभंगा हाउस, रांची/ CMD, BCCL,कोयला भवन, धनबाद/ CMD, ECL,पश्चिम बंगाल/ क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI, Ranchi/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI, Kolkata/ Sri Ajit Singh Yadav, ADRM(Infra), Hatia, Ranchi/ Sri Jamil Ahshan, Chief Project Manager, Rail, DFCCIL, Kolkata/ GM (Const), GAIL (India) Ltd., 5th Floor, North wing of Eastern Block, At MECON Helad Office Complex, Doranda, Ranchi/ Representative of ONGC/ IOCL, Jharkhand/ Project Officer, IWAI, Sahebganj/ NTPC, Jharkhand/ Representative of AAI, Jharkhand/ Representative of CRPF/ DVC/ PVUNLको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांकः 12/ भा०नि० ०८६-01/2019 ...1598/रा0 राँची दिनांकः 30-04-19

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/जल संसाधन विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग /उर्जा विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/उद्योग विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)/सूचना प्रोद्यौगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/परिवहन एवं नागर विमानन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/निदेशक, उड़ान संचालन, नागर विमानन विभाग, स्टेट हैंगर, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांकः – 12/ भा०नि० ०८६-01/2019 ...1598/रा0 राँची दिनांकः 30-04-19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त, झारखंड, रांची को सूचनार्थ।

सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांकः – 12/ भा०नि० ०८६-01/2019 ...1598/रा0 राँची दिनांकः 30-04-19

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ।

सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड, राँची।